हिन्दुस्तान

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी.आर. 129/2023

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का अंक पत्रादि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेजे जाने तथा इसे विद्यालय के प्रधान द्वारा प्राप्त कर संबंधित छात्र/छात्रा को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, विद्यालय के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं विद्यालय के संधारण हेतु सारणीयन पंजी विद्यालयवार समिति द्वारा प्रतिनियुक्त विशेष दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दिया गया है।

2. **वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 के लिए पंजीयन/परीक्षा मद में निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु विभिन्न विज्ञप्तियों/पत्रों के माध्यम से कई बार निदेश दिए जाने के बावजूद जिन विद्यालय के प्रधान द्वारा किसी कारण से छात्र/छात्रा का पंजीयन एवं अथवा परीक्षा आवेदन भरे जाने के मद में शुल्क जमा नहीं किया गया अथवा कम शुल्क जमा किया गया है, उन विद्यालयों के छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में नहीं भेजा गया है, वैसे विद्यालय का कोड, नाम एवं बकाया राशि का विवरण समिति की वेबसाईट http://secondary.biharboardonline.com पर अपलोड है, जिसे देखा जा सकता है। स्पष्ट किया जाता है कि यदि इन विद्यालय के प्रधान द्वारा दिनांक 09.06.2023 तक ऑनलाईन शुल्क जमा कर दिया जाएगा, तो वे स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत दूत के माध्यम से समिति के अकादमिक भवन अवस्थित परीक्षा प्रशाखा (मा0) के कार्यवाह सहायक के समक्ष शुल्क जमा होने से संबंधित साक्ष्य दिखाकर अपने विद्यालय के छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन/परीक्षा शुल्क जमा नहीं रहने के फलस्वरूप किसी छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि प्राप्त नहीं होने के कारण किसी तरह की उत्पन्न होने वाली समस्या की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधान की होगी।**

3. विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिन विद्यालयों के प्रधान द्वारा 10 से कम परीक्षार्थी का पंजीयन/परीक्षा आवेदन भरे जाने के मद में शुल्क जमा नहीं किया गया है अथवा कम शुल्क जमा किया गया है, उन विद्यालय के छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि भेज दिया गया है। परन्तु इन विद्यालयों के प्रधान को बकाया शुल्क ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में उनका मूल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही विद्यालय के प्रधान की होगी।

4. सभी विद्यालयों के प्रधान से अनुरोध है कि अपने विद्यालय से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित छात्र/छात्रा का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं विद्यालय के संधारण हेतु सारणीयन पंजी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से स्वयं अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किये गए अंक पत्रादि का मिलान अवश्य कर लेंगे। यदि अंक पत्रादि के पैकेट में किसी दूसरे विद्यालय के छात्र/छात्रा का अभिलेख प्राप्त हो जाय, तो उसे अपने अग्रसारण पत्र के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अविलम्ब वापस करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित विद्यालय को प्राप्त कराया जा सके। अंक पत्र एवं औपबंधिक प्रमाण पत्र संबंधित छात्र/छात्रा को अविलम्ब प्राप्त करायेंगे एवं इसकी पावती तथा सारणीयन पंजी अपने विद्यालय में सुरक्षित संधारित रखेंगे। यदि किसी विद्यालय का अंक पत्रादि प्राप्त नहीं होता है, तो उनके प्रधान जिला शिक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे, ताकि अंक पत्रादि उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

5. सभी विद्यालय के प्रधान को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि वितरण करने से पूर्व उसका मिलान विद्यालय में रक्षित अभिलेख से अवश्य कर लें। मिलान कर लेने के उपरांत **यदि किसी छात्र/छात्रा के अंक पत्र में त्रुटिपूर्ण फोटो यथा–किसी दूसरे छात्र–छात्रा/व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो अथवा अस्पष्ट फोटो मुद्रित हो, तो वैसे अंक पत्र संबंधित छात्र/छात्रा को हस्तगत नहीं कराया जाय। ऐसे त्रुटिपूर्ण अंक पत्र संगत साक्ष्य सहित अपने अग्रसारण पत्र के साथ समिति कार्यालय के अकादमिक भवन अवस्थित संबंधित जिला के परीक्षा प्रशाखा (मा0) में दिनांक 09.06.2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करना/कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसका सुधार करने की कार्रवाई की जा सके। निर्धारित तिथि तक विवरणी जमा नहीं करने की स्थिति में यदि किसी छात्र/छात्रा के अंक पत्र में फोटो संबंधित त्रुटि रह जाती है, तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा और इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रधान की होगी।**

6. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि समिति के विशेष दूत द्वारा भेजे गए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित छात्र/छात्रा का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं सारणीयन पंजी (T.R) का पैकेट संबंधित मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्राप्त कराने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही विद्यालय के प्रधान को अपने स्तर से अनिवार्य रूप से निदेश देंगे कि छात्र/छात्रा को अंक पत्रादि वितरण कराते समय किसी दूसरे विद्यालय के छात्र/छात्रा का अंक पत्रादि उन्हें प्राप्त हो जाय, तो उसे शीघ्र अपने अग्रसारण पत्र के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वापस करना/कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि संबंधित विद्यालय के प्रधान को प्राप्त करायी जा सके।

7. विदित हो कि जिन विद्यालयों से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2023 में सम्मिलित परीक्षार्थी में से 10 से कम परीक्षार्थी का पंजीयन/ एवं अथवा परीक्षा आवेदन भरे जाने के मद में शुल्क जमा नहीं किया गया है, की सूची विशेष दूत के माध्यम से भेजी गयी है। ऐसे विद्यालयों के प्रधान अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि को जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से निदेशित करेंगे कि बकाया शुल्क जमा कर दें अन्यथा विद्यालय के परीक्षार्थी का मूल प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। इसका सम्पूर्ण जवाबदेही विद्यालय के प्रधान की होगी। इस संबंध में समिति कार्यालय पत्रांक–केन्द्रीय (मा0)–896/19–के0 741, दिनांक 30.05.2023 के द्वारा भी अनुरोध किया जा चुका है।

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)